

**न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 184/2021

दायर दिनांक 02.08.2021

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. नन्दाराम पुत्र दानाराम जाति जाट उम्र 54 वर्ष निवासी कीचक तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. आसाराम पुत्र भंवराराम 2. जयराम पुत्र भंवराराम 3. रामसुख पुत्र भंवराराम 4. संजय पुत्र भंवराराम 5. परमेश्वर पुत्र भंवराराम 6. छोटी देवी पत्नि भंवराराम 7. किसनाराम पुत्र दानाराम 8. भागीरथराम पुत्र दानाराम 9. पीथाराम पुत्र उदाराम 10. अमराराम पुत्र गोरधनराम 11. सांवताराम पुत्र गोरधनराम 12. छोटी देवी पत्नि भंवराराम पुत्र बोदुराम 13. रामकरण पुत्र भंवराराम 14. नेमाराम पुत्र भंवराराम 15. पुसाराम पुत्र स्व. बोदुराम 16. रामनिवास पुत्र स्व. बोदुराम 17. रामेश्वर पुत्र स्व. बोदुराम 18. केसर पत्नि केशाराम पुत्री स्व. अर्जुनराम 19. शारदा पुत्री स्व. केशाराम 20. हजारी भाकर पुत्र केशाराम 21. सुनिल भाकर पुत्र केशाराम 22. रिछपाल भाकर पुत्र केशाराम 23. जीवणराम पुत्र अर्जुनराम 24. प्रेमराम पुत्र अर्जुनराम 25. नानुराम पुत्र धन्नाराम 26. चुनाराम पुत्र धन्नाराम 27. मानाराम पुत्र पेमराम 28. किसनाराम पुत्र इन्द्राराम 29. घासीराम पुत्र इन्द्राराम 30. संतोष देवी पत्नि रामूराम 31. प्रमोद भाकर पुत्र रामूराम 32. शारदा भाकर पुत्री रमूराम 33. रतनलाल पुत्र देवाराम 34. ओमप्रकाश पुत्र देवाराम 35. लिछमा देवी पत्नि देवाराम समस्त जातिगण जाट निवासीगण कीचक तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 36. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.बी.जे.) डीडवाना जिला नागौर। 37. तहसीलदार मौलासर

बनाम्

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

**सहायक कलेक्टर**  
**डीडवाना (नागौर)**

उपस्थित:-

1. श्री हरफुल राव वकील, वादी।
2. श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 18.11.2021

वादी का खातेदारी खेत खसरा सं० 98 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा सं० 99 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा सं० 104 रकबा 6.03 हैक्टर, खसरा सं० 101 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा सं० 102 रकबा 0.12 हैक्टर. व खसरा सं० 103 रकबा 0.11 हैक्टर. वाके सरहद कीचक में वादी व प्रतिवादी के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 17.08.2021 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 694 दिनांक 31.08.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 694 दिनांक 31.08.2021 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

-:: आदेश ::-

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं० 98 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा सं० 99 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा सं० 104 रकबा 6.03 हैक्टर, खसरा सं० 101 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा सं० 102 रकबा 0.12 हैक्टर. व खसरा सं० 103 रकबा 0.11 हैक्टर. वाके सरहद कीचक की भूमि का "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: : 694 दिनांक 31.08.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: : 694 दिनांक 31.08.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
डीसहायक कलेक्टर  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 18.11.2021 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)  
सहायक कलेक्टर  
R.A.S.  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना


डिक्री वमुकदमें इव्वादाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 184/2021

दायर दिनांक 02.08.2021

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. नन्दाराम पुत्र दानाराम जाति जाट उम्र 54 वर्ष निवासी कीचक तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. आसाराम पुत्र भंवाराराम 2. जयराम पुत्र भंवाराराम 3. रामसुख पुत्र भंवाराराम 4. संजय पुत्र भंवाराराम 5. परमेश्वर पुत्र भंवाराराम 6. छोटी देवी पत्नि भंवाराराम 7. किसनाराम पुत्र दानाराम 8. भागीरथराम पुत्र दानाराम 9. पीथाराम पुत्र उदाराम 10. अमराराम पुत्र गोरधनराम 11. सांवताराम पुत्र गोरधनराम 12. छोटी देवी पत्नि भंवाराराम पुत्र बोदुराम 13. रामकरण पुत्र भंवाराराम 14. नेमाराम पुत्र भंवाराराम 15. पुसाराम पुत्र स्व. बोदुराम 16. रामनिवास पुत्र स्व. बोदुराम 17. रामेश्वर पुत्र स्व. बोदुराम 18. केसर पत्नि केशाराम पुत्री स्व.अर्जुनराम 19. शारदा पुत्री स्व. केशाराम 20. हजारी भाकर पुत्र केशाराम 21. सुनिल भाकर पुत्र केशाराम 22. रिछपाल भाकर पुत्र केशाराम 23. जीवणराम पुत्र अर्जुनराम 24. प्रेमराम पुत्र अर्जुनराम 25. नानुराम पुत्र धन्नाराम 26. चुनाराम पुत्र धन्नाराम 27. मानाराम पुत्र पेमराम 28. किसनाराम पुत्र इन्द्राराम 29. घासीराम पुत्र इन्द्राराम 30. संतोष देवी पत्नि रामूराम 31. प्रमोद भाकर पुत्र रामूराम 32. शारदा भाकर पुत्री रमूराम 33. रतनलाल पुत्र देवाराम 34. ओमप्रकाश पुत्र देवाराम 35. लिछमा देवी पत्नि देवाराम समस्त जातिगण जाट निवासीगण कीचक तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 36. प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.बी.जे.) डीडवाना जिला नागौर। 37. तहसीलदार मौलासर

बनाम्

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 18.11.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव वकील, वादी व श्री सुनिल कुमार मिश्रा वकील प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 98 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा सं0 99 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा सं0 104 रकबा 6.03 हैक्टर, खसरा सं0 101 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा सं0 102 रकबा 0.12 हैक्ट. व खसरा सं0 103 रकबा 0.11 हैक्ट. वाके सरहद कीचक की भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक : 694 दिनांक 31.08.2021 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक : 694 दिनांक 31.08.2021 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....  
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.11.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जादावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना  
डीडवाना (नागौर)